

मध्यप्रदेश शारान,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय,
वल्लभ गवन, भोपाल।

क्रमांक एफ 3-4/2009/1/8,
प्रति,

भोपाल दिनांक 13 अगस्त-2009

शारान के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त सांभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- अल्पवर्षा के कारण प्रदेश में विद्युत की कमी को देखते हुए शासकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में एयर कंडीशनर का उपयोग प्रतिबंधित करने बाबत।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12.8.2009 को प्रदेश में विद्युत प्रदाय की स्थिति की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अल्पवर्षा के कारण हो रही विद्युत की कमी को दृष्टिगत रखते हुए मांग पक्ष प्रबंधन के अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानों (अस्पताल छोड़कर) में वर्तमान में एयर कंडीशनर के उपयोग पर तुरन्त रोक लगाई जाए। तदनुसार सभी शासकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/निगम/मण्डल/संवाचनालय एवं अन्य कार्यालयों में एयर कंडीशनर के उपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए। इनमें अस्पताल तथा ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें तापमान के नियंत्रण हेतु एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती है, शामिल नहीं होंगे।

12/8/09

(सुदेश कुमार)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शारान,
सामान्य प्रशासन विभाग.

SE(A)

S.E. (mis) / EE (mis)

SE (mis)

479/SE (mis)
20/8/09

20/8

A.C. H.

477/EE/mis
20-8-09

SE(MZ5)

2

पृ० क्रमांक एफ 3-4/2009 / 1 / 8.

भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2009

प्रतिलिपि:---

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
 4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 5. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
 6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
 7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल,
 8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
 10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर/
ग्वालियर/जबलपुर,
 12. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
 13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.